

आखिर किशोर वासवानी ने बना ही लिए छत पर अवैध पैंट हाउस!!! और पार्किंग में अवैध फ्लेट्स!!



भाग-11

क्या कोर्ट को गुमराह कर, स्टे हासिल कर,
अवैध बिल्डिंग का निर्माण करने के मामले में होगा
किशोर वासवानी के विरुद्ध मामला दर्ज?

आदर्श नगर जोन में स्थित भूखंड संख्या 306, सिंधी कॉलोनी का मामला!!

क्या अब आदर्श नगर जोन के उपायुक्त सुरेश राव करेंगे
इस अवैध पैंट हाउस पर कार्यवाही?

या फिर मुख्यमंत्री को ही देना पड़ेगा अब ऐसे मामले में दखल?

**क्या है भूखंड संख्या
306,सिंधी
कॉलोनी,राजापार्क
का है मामला?**

जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि 40*60 साइज के 266.66 गज के भूखंड संख्या 306,सिंधी कॉलोनी,राजापार्क पर तथाकथित भूखंड मालिक संतोष मामनानी द्वारा स्थानीय बिल्डर किशोर वासवानी के साथ जाइंट वेंचर कर, अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।पुख्ता जानकारी के अनुसार इस भूखंड पर बिना नक्शे पास करवाए,बिना सक्षम अनुमति के,बिना सेटबैक छोड़े,बिना पार्किंग व्यवस्था के,बिना फायर एनओसी,बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के छह मंज़िला अवैध बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है।

वर्तमान में इस बिल्डिंग की छत पर स्टे की आड़ में स्टिल्ट फ्लोर पर भी पार्किंग की जगह फ्लैट्स और छत पर भी पेंटहाउस बना दिए गए हैं।

अवैध बिल्डिंग की
वर्तमान स्थिति



माननीय न्यायालय को गुमराह कर, हासिल किया गया स्टे!! न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष दाखिल अस्थायी निषेधाज्ञा 53/22 किशोर वासवानी बनाम नगर निगम जयपुर हेरिटेज का क्या है असली सच?

कौन है किशोर वासवानी? क्या दावा किया गया किशोर वासवानी द्वारा अपने वाद मे?

आदर्श नगर जोन द्वारा जारी नोटिस के विरुद्ध इस भूखंड पर बन रही बिल्डिंग के साझेदार किशोर वासवानी द्वारा न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष स्थायी/अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि जिस संपत्ति पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है वह भूखंड संख्या 306, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर में स्थित है, जिसका नाप 266.66 वर्ग गज/222.96 वर्ग मीटर है, का एक मात्र मालिक संतोष मामनानी है। इस संपत्ति पर निर्माण कार्य करने के लिए बिल्डर किशोर वासवानी द्वारा भूखंड मालिक संतोष मामनानी के साथ दिनांक 21/12/2021 को एक डवलपर एग्रीमेंट किया गया, इस डवलपर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार किशोर वासवानी उक्त संपत्ति में 50% हिस्से का मालिक घोषित किया गया। जिसके कारण किशोर वासवानी को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अपने वाद में किशोर वासवानी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उक्त संपत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 व मॉडल भवन विनियम 2020 की पालना के तहत निर्माण प्रारंभ किया गया, जिसके तहत विधिनुसार स्टील्ट, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम फ्लोर, द्वितीय फ्लोर, तृतीय फ्लोर का निर्माण किया जाना था। उक्त संपत्ति के आगे 18 मीटर चौड़ी अर्थात् 60 फीट चौड़ी सड़क है जिससे मॉडल भवन विनियम के अनुसार 225 वर्गमीटर से लेकर 350 वर्गमीटर तक 18 मीटर चौड़ी सड़क होने की स्थिति में भवन की ऊंचाई 18 मीटर तक का निर्माण किया जा सकता है। वादी द्वारा आगे बताया गया कि उसके द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं मॉडल भवन विनियम के तहत नियमानुसार सेटबैक छोड़कर सम्पूर्ण निर्माण कार्य किया जा चुका है केवल फिनिशिंग, रंग रोगन, प्लास्टर इत्यादि का कार्य किया जाना बाकी है। लेकिन इसके बावजूद निगम के अधिकारियों द्वारा 06/06/2021 को मौके पर आकर निर्माण रोकने की धमकी दी गई और वादी द्वारा मना करने पर उसका सामान उठा कर ले गए।

8. यह कि वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 व मॉडल भवन विनियम 2020 की पालना के तहत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर विधिनुसार स्टील्ट फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल का निर्माण किया जाना था।

जब अपने वाद में किशोर वासवानी यह स्वीकार कर रहा है कि उसके द्वारा नियमानुसार स्टील्ट+ग्राउण्ड_प्रथम+द्वितीय+तृतीय तल का निर्माण किया गया है तो कैसे स्टे के चलते और न्यायालय के समक्ष वाद लंबित होने के बावजूद स्टील्ट फ्लोर और छत पर फ्लैट्स बना लिए गए?

क्या कोर्ट को गुमराह कर, स्टे हासिल कर, अवैध बिल्डिंग का निर्माण करने के मामले में होगा किशोर वासवानी के विरुद्ध मामला दर्ज?

स्पष्ट है कि किशोर वासवानी द्वारा गलत तथ्यों और दावों से माननीय न्यायालय को गुमराह

करके, सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत यह स्टे हासिल किया गया है। इतना ही नहीं स्टे के चलते और वाद लंबित होने के बावजूद अवैध बिल्डिंग के स्टिल्ट फ्लोर और छत पर फ्लेट्स बना कर एक और अपराध किया है। जिसके लिए आईपीसी की धाराओं के तहत जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। देखना यह है कि इस मामले का खुलासा होने पर माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले में क्या न्याय किया जाता है।

क्या अब आदर्श नगर जोन के उपायुक्त सुरेश राव के संज्ञान में आने के बाद होगी इस मामले में बड़ी कार्यवाही? या फिर मुख्यमंत्री को ही देना पड़ेगा अब ऐसे मामले में दखल?

देखा जाए तो भूखंड संख्या 306 सिंधी कॉलोनी पर 5 मंजिला इमारत बन जाने के बाद नोटिस दिया गया जबकि इसकी नींव खुदाई से ही स्थानीय निवासियों द्वारा यहाँ पर अवैध बहुमंजिला इमारत बनाए जाने की शिकायत निगम के अधिकारियों से की जा रही थी। सुरेश राव के पूर्ववर्ती उपायुक्तों द्वारा इस अवैध बिल्डिंग को पनपाने में खुलकर, बिल्डर का पक्ष लिया गया और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। वो तो ऊपर से जब दबाव पड़ा तो इस अवैध इमारत को नोटिस जारी करना पड़ा। वैसे भी देखा जाए तो अब तक जोन की तरफ से इस स्टे के संबंध में निगम की तरफ से कोई पुख्ता पैरवी नहीं की गई है जिसके चलते ही बिल्डर ने बेखौफ होकर, ना केवल बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया बल्कि स्टिल्ट फ्लोर और छत पर भी और अवैध फ्लेट्स का निर्माण कर लिया। देखना यह है कि यह मामला संज्ञान में आने के बाद जोन के उपायुक्त सुरेश राव इस बिल्डिंग की जांच कर कार्यवाही करते हैं या फिर अब ऐसे मामलों में भी राज्य के मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ेगा? हाल ही में एक दबंग मंत्री के प्रभाव के चलते एक नागरिक को खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि वह एक दबंग और रसुखदार होटलमालिक के निर्माणाधीन होटल के पास मकान बनाने की गुस्ताखी कर रहा था। वो तो समय रहते मुख्यमंत्री महोदय के दखल के चलते निगम के अधिकारियों को बेकफुट पर आना पड़ा और होटल को ध्वस्त करने जैसे बड़ी कार्यवाही करने को मजबूर होना पड़ा। देखना यह है कि इस मामले में भी कानून अपना काम करता है या फिर हमें भी यह कह कर तसल्ली करनी पड़ेगी कि "यह अंधा कानून है"

तथ्य छिपाकर दायर याचिका खारिज, 25 लाख हर्जाना भी

मामलों में सही व प्रासंगिक तथ्य लिखे जाएं : हाईकोर्ट

तीगल रिपोर्टर | जयपुर

हाईकोर्ट ने एक मामले में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और तथ्य छिपाकर दायर याचिका को प्रार्थी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दिया। साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह हर्जाना राशि चार सप्ताह में रॉलसा में जमा कराए। अदालत ने कहा पक्षकारों को मामले के प्रासंगिक व सही तथ्यों को लिखना

ही होगा और कोई भी तथ्य नहीं छिपाए जाने चाहिए। मौजूदा मामले में प्रार्थी ने अदालत से पूर्व में हुई न्यायिक प्रक्रिया के तथ्य को छिपाया और यह नहीं बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले में पूर्व में दायर याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में यह याचिका बेवजह दायर की गई है। ऐसे मुकदमे बाजों से सख्ती से निपटने और उन्हें हतोत्साहित करने की जरूरत है। जस्टिस अशोक गौड़ ने यह आदेश बारां जिला निवासी कस्तूर चंद की याचिका खारिज करते हुए दिया। अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अक्षय शर्मा ने बताया कि सीलिंग एक्ट

से जुड़े मामले में 1988 में प्रार्थी के पिता देवीलाल रेवेन्यू बोर्ड में केस हार गए थे। रेवेन्यू बोर्ड के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनी थी। हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान 2000 में देवीलाल की मीत हो गई और उनके बेटे कस्तूर चंद पक्षकार बन गए। हाईकोर्ट ने जुलाई 2001 में उनकी याचिका खारिज कर दी। वहीं कस्तूर चंद अक्टूबर 2001 में वापस रेवेन्यू बोर्ड चला गया। रेवेन्यू बोर्ड ने 2009 में पुनः उसके खिलाफ फैसला देकर उसकी अपील खारिज कर दी।

